(c) *Prima facie* there are no indications that the fire was caused by extremists.

REQUEST TO RESCIND NEWSPRINT CONTROL ORDER, 1992

@*315. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the President of Indian Newspaper Society recently urged Government to rescind the Newsprint Control Order, 1992 and allow the functioning of newspaper industry in a liberalised environment;

(b) if so, what steps have been taken by Government to rescind the Newsprint Control Order, 1992; and

(c) if the reply to part (b) above be in the negative, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SMT. KRISHNA SAHI) : (a) to (c) Yes, Sir. The Indian Newspaper Society have requested to rescind the Newsprint Control order, 1962. However, the request has financial implications for the domestic newsprint industry and is also dependant on the decisions in the Union Budget, 1994-95.

उत्तर प्रदेश स्थित विकास केन्द्र

316. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उत्तर प्रदेश स्थित विभिन्न औद्योगिक विकास केन्द्रों को क्या-क्या आधारभूत सुविधायें प्रदान की हैं;

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के ऐसे केन्द्रों में निष्पादित किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त विकास केन्द्र अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्य को निष्पादित नहीं कर पा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री, उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :

(क) से (घ) : विकास केन्द्र योजना, 1988 के अधीन केन्द्रों के विकास के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा धन दिया जाता है। सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास केन्द्रों के लिए अब तक 3.5 करोड़ रु. जारी किए हैं और 8 में से 6 परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया है जो राज्य सरकार द्वारा किया जाना है राज्य सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण कर लिए जाने के बाद ही इस कार्य में तेजी आयेगी। योजना को 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किया जाना है। विकास केन्द्रों को बिजली, पानी, दूरसंचार, सड़क और बैंक जैसी मूल आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए योजना

317. **श्री राम नरेश यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों के मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ दिन पूर्व प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की गोष्ठी में [illegible]

@ Previously starred Question 255, transferred from 20th December, 1993.

सिफारिश की है कि लम्बित मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिए कदम उठाए जाएं; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक जिला/तहसील स्तरीय न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) विधि आयोग ने अपनी 114वीं रिपोर्ट में सिफारिश की है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विवादों का निपटारा करने के लिए ग्राम न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए। उक्त रिपोर्ट 25-11-1986 को इस सदन के पटल पर रख दी गई थी। हाल ही में, मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों की एक बैठक में न्यायिक पद्धति की पुनर्संरचना की आवश्यकता पर बल दिया गया था, ताकि ग्रामीण मुकदमेबाजी को कम खर्चीला बनाने और शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित किया जा सके। इस बाबत अभी ठोस स्कीम बनाई जानी है।

(ग) और (घ) जी, हां। मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों की एक बैठक 4 दिसम्बर, 1993 को नई दिल्ली में हुई थी जिसमें न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए कई उपायों की सिफारिश की गई थी। बैठक में, प्रत्येक जिला/तहसील स्तर के न्यायालय में नियुक्त किए जाने वाले अपर न्यायाधीशों की विनिर्दिष्ट संख्या की बाबत कोई सिफारिश नहीं की गई है।

TIME BOUND PROMOTION FOR SC/ST IN AIR INDIA

*318. SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM : Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether Air India Board passed a resolution abolishing qualifying period in favour of candidates belonging to SCs/STs in time bound promotion, if so, the details thereof;

(b) by when Air India will implement the decision; and

(c) whether the Board's decision will be implemented with retrospective effect?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD) : (a) Guidelines on dereservation of vacancies reserved for SC/ST candidate were referred by the Board of Directors to the management of Air India to eliminate/minimise grievances. These guidelines inter-alia emphasised the desirability of creating relaxed standards of eligibility for promotion of SC/ST candidates in the matter of dereservation of posts pertaining to time bound promotions.

Since the time bound promotions are given by way of implementation of the agreements with Union, the management has been asked in the interest of industrial harmony to discuss the issues of relaxed standards with the Union.

(b) and (c) Implementation would need to await the outcome of discussions with the Union.

ENROLMENT OF GOVERNMENT SERVANTS HOLDING LAW DEGREES WITH THE BAR COUNCILS

*319. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government servants holding law degrees are allowed under CCS (Conduct) Rules to enrol themselves with the Bar Councils in the country on the condition that they will not actively engaged in the practice as an advocate;

(b) if so, whether Government are aware that the Bar Councils are not registering such Government servants even when they have been allowed by their respective Departments to get themselves enrolled;

(c) whether it is a fact that the decision of Bar Councils in this regard has rendered the relevant provisions of the CCS (Conduct) Rules ineffective; and

(d) if so, what steps Government are taking to resolve the issue?